प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 3225/ 2011

कैलाश मिश्रा पिता स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर मिश्रा, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्व बोर्ड, द्वारा अध्यक्ष, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

3.उप–मंडल अधिकारी (राजस्व), अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

4. डा. जितेंद्र कुमार सिंह, पिता पुरुषोत्तम सिंह, आयु लगभग 56 वर्ष, व्यवसाय–डॉक्टर, चोपडापारा नगर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिए	श्री वी.के.पाण्डेय, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 के लिए	श्री गैरी मुखोपाध्याय, उप–शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 4 के लिए	श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

09/12/2016

1. उत्तरवादी क्रमांक 4 ने दिनांक 23.06.2006 को वाद सम्पत्ति क्रय की तथा उसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2006 को उसके पक्ष में व्यपवर्तन का आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अंबिकापुर के समक्ष याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए व्यपवर्तन आदेश पर प्रश्न उठाते हुए परिवाद दर्ज कराई। अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर से

दिनांक 20.07.2006 के आदेश की समीक्षा करने की अनुमति मांगी। कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर ने दिनांक 03.08.2009 के अपने आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 4 को नोटिस दिए बिना तथा उसका पक्ष सुने बिना दिनांक 20.07.2006 के आदेश की समीक्षा करने की अनुमति प्रदान कर दी।

2. उस आदेश से व्यथित होकर व्यपवर्तन क्रमांक 4 ने राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। राजस्व बोर्ड ने आक्षेपित आदेश द्वारा कलेक्टर के दिनांक 03.08.2009 के आदेश को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देते समय व्यपवर्तन क्रमांक 4 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष उस आदेश को चुनौती दी है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के.पाण्डेय ने तर्क दिया कि चूंकि राजस्व बोर्ड ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न करने के आधार पर कलेक्टर के आदेश को खारिज कर दिया था, इसलिए राजस्व बोर्ड का यह दायित्व था कि वह व्यपवर्तन क्रमांक 4 को सुनवाई का अवसर देने के लिए प्रकरण को कलेक्टर के पास वापस भेज दे और नए सिरे से आदेश पारित करे, जो नहीं किया गया है और इसलिए, आक्षेपित आदेश खारिज किए जाने योग्य है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. व्यपवर्तन क्रमांक 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने तर्क प्रस्तुत किया कि कलेक्टर द्वारा व्यपवर्तन क्रमांक 4 को नोटिस दिए बिना और उसकी सुनवाई किए बिना समीक्षा की अनुमति प्रदान की गई थी। इसे यंत्रवत् पारित किया गया था और इसलिए, आक्षेपित आदेश यथावत रखा जाना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया है।

6. बार में उठाए गए तर्क पर विचार करने के लिए, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे "संहिता" कहा जाएगा) की धारा 51 (1) (i) और (i–a) पर गौर करना समीचीन होगा, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:–

> 51. आदेशों का पुनर्विलोकन –(एक) मण्डल या कोई राजस्व अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, उसके द्वारा या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित्त समझे:
>
> परन्तु,

(एक) यदि आयुक्त, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि उसने स्वंय पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह पहले मण्डल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा, और यदि कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो स्वयं उसके द्वारा या उसके किसी पूर्ववर्ती द्वारा पारित किया गया हो,पुनर्विलोकन करने की प्रस्थापना करता है तो वह पहले कलेक्टर या जिला वेंक्षण अधिकारी, की, ठीक जिसके कि वह अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा;

(एक (क)) किसी भी आदेश को तब तक फेरफारित नहीं किया जाएगा या उलटा नहीं जाऐगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में उन्हें सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो। "

7. उपर्युक्त प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समीक्षा की अनुमति देने से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सूचित किए बिना और उसकी बात सुने बिना अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देने से पहले अवसर दिया जाना चाहिए और मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को मंजूरी देने से पहले अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **शहीद अनवर बनाम राजस्व मंडल एवं एक अन्य**[1] प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के प्रथम प्रावधान के अधीन मंडल या राजस्व अधिकारी द्वारा समीक्षा की मंजूरी नोटिस दिए बिना और दूसरे पक्ष को सुने बिना नहीं दी जा सकती।

9. इसी प्रकार, **रवि नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य**[2] के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि समीक्षा के लिए मंजूरी देने की शक्ति मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा यंत्रवत् नहीं दी जा सकती है और आदेश में विवेक का प्रयोग होना चाहिए और निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:–

"21. न्यायालय में समीक्षा की शक्ति निहित है ताकि उक्त न्यायालय अपने द्वारा की गई श्रुटि को सही कर सके। ऐसा प्रकरण हो सकता है जहां वही न्यायालय/प्राधिकरण अपने द्वारा की गई श्रुटि के बारे में जानने के बाद श्रुटि को सही करना चाहता है। वह आवेदन पर या स्वप्रेरणा से शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पुनरीक्षण के प्रकरण में पुनरीक्षण की शक्तियों से संपन्न उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ द्वारा की गई श्रुटि को सही करना चाहता है। उच्च

1 2000 RN 76

2 2000(I) MPJR 528

न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग स्वप्रेरणा से या पीड़ित पक्ष के आवेदन पर कर सकता है। वास्तव में ये शक्तियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग एक ही न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक न्यायालय श्रुटि को सही करना चाहता है। पुनरीक्षण के प्रकरण में चिंता उसी न्यायालय की होती है जबकि पुनरीक्षण के प्रकरण में चिंता उच्च न्यायालय की होती है। पुनरीक्षण की अनुमति देते समय प्राधिकारी को यांत्रिक मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं होती है। आदेश में विवेक का प्रयोग दर्शाया जाना चाहिए। आदेश से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्राधिकरण को प्रभावित नहीं किया गया, लेकिन आदेश में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि उसने तथ्यों पर विचार किया है और विवेक का प्रयोग करने के बाद अनुमति प्रदान की है।"

10. **शहीद अनवर** (पूर्वोक्त) और **रवि नारायण** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि के सिद्धांत का **बिहारीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[3] में भी पालन किया गया है, जिसमें दोहराया गया है कि दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती है और मंजूरी आदेश में विवेक का प्रयोग दर्शाया जाना चाहिए और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. यह भी देखा जाना चाहिए कि शहीद अनवर बनाम राजस्व मंडल एवं अन्य, 2000 राजस्व निर्णय 76 के प्रकरण में इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की है कि म.प्र. भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के प्रावधान 1 के अंतर्गत मंडल या किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा समीक्षा के लिए मंजूरी दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना और उसकी सुनवाई किए बिना नहीं दी जा सकती। रवि नारायण और शहीद अनवर (पूर्वोक्त) के प्रकरणों में दिए गए निर्णय को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना समीक्षा की मंजूरी नहीं दी जा सकती और समीक्षा यंत्रवत् नहीं की जा सकती। धारा 51 की योजना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक साथ लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वह मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह विश्वास दिला सके कि प्रकरण हाथ में है। समीक्षा के लिए मंजूरी देने योग्य नहीं है। वह प्राधिकरण को यह भी समझा सकता है कि समय बीत जाने के कारण प्राधिकरण को अब समीक्षा या मंजूरी देने की शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा पक्ष प्राधिकरण को यह समझा सकता है कि प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें पूर्ण अवैधता की गई हो और दूसरे दृष्टिकोण की संभावना समीक्षा के लिए मंजूरी देने को उचित नहीं ठहराएगी।"

3 2010(2) MPHT 115 (DB)

11. वर्तमान प्रकरण में राजस्व मंडल ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा कलेक्टर के उस आदेश को उचित रूप से अपास्त कर दिया है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी को अपने पूर्व आदेश दिनांक 20.7.2006 की समीक्षा करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि कलेक्टर ने न तो व्यपवर्तन क्रमांक 4 को नोटिस किया और न ही उसकी बात सुनी। राजस्व मंडल ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि सुनवाई का अवसर दिए बिना और व्यपवर्तन क्रमांक 4 को नोटिस किए बिना अनुमति नहीं दी जा सकती थी, लेकिन राजस्व मंडल ने व्यपवर्तन क्रमांक 4 को सुनवाई का अवसर देने के बाद आदेश पारित करने के लिए प्रकरण को कलेक्टर, सरगुजा, अंबिकापुर को वापस भेजने के बजाय आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है और इस प्रकार विधिक त्रुटि की है और इस प्रकार आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

12. इसलिए, आक्षेपित आदेश को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण को कलेक्टर, सरगुजा अंबिकापुर को वापस भेजा जाता है, जो दिनांक 20.07.2006 के आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देने के प्रश्न पर याचिकाकर्ता और व्यपवर्तन क्रमांक 4 की सुनवाई करेंगे तथा पक्षकारों की प्रथम सुनवाई की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर नए सिरे से आदेश पारित करेंगे, जिसकी तिथि दिनांक 03.01.2017 निर्धारित की गई है।

13. रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

(संजय के.अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**